राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/ दिनाँक :

आदेश

श्रीमती सरिता कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उपकेन्द्र, दौलपुरा, खण्ड सपोटरा करौली जिन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली के कार्यालय आदेश प02( )संस्था/अराज/2017/1076 दिनाँक 09.06..2017 की पालना में दिनाँक 12.06.2017 को 'अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा में' अपनी उपस्थिति निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर में प्रस्तुत की हैं, का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली के अधीन अन्य खण्ड में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर किया जाता है।

sd/-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/951 दिनाँक : 29.6.2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन– भरपतुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली को प्रेषित कर लेख हैं कि श्रीमती सरिता कुमारी, म.स्वा.कार्यकर्ता का पदस्थापन खण्ड सपोटरा के अतिरिक्त आपके अधीन अन्य खण्ड में करें तथा कार्मिका के विरूद्ध राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही, आदेशों की अवहेलना आदि के प्रकरण में प्राथमिक जांच कर यदि कार्मिक दोषी पाई जाती है, तो इनके विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर अवगत करावें। कार्मिका ने दिनाँक 12.06.2017 से आदेश जारी होने की दिनाँक तक निदेशालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की हैं, इस अवधि में इनके द्वारा राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग नही किया गया हैं।
6. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
7. प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग/गोपनीय (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
8. श्रीमती सरिता कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आज दिनाँक कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता हैं कि वह अपनी उपस्थिति नवीन पदस्थापन स्थान हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली के समक्ष प्रस्तुत करें।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

J.Gaur